

**उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।**  
(स्थापना शाखा)

पूर्वी सिंहभूम जिले के सेवानिवृत्त कर्मी / मृत कर्मियों के आश्रितों को ससमय सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान एवं त्वरित गति से पेंशन मामलों के निष्पादन हेतु दिनांक 29.09.2010 से दिनांक 25.08.2012 तक कुल 9 (नौ) चरणों में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। उक्त पेंशन अदालतों में पी०पी०ओ० / जी०पी०ओ० तथा सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी का भुगतान से संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन निम्न प्रकार हैं:-

पेंशन अदालत की तिथि	पेंशनधारियों को हस्तगत जी०पी०ओ० / पी०पी०ओ०		पेंशनधारियों को सा०भ०नि० से निकासी का प्राधिकार पत्र।	
	संख्या	सन्निहित राशि	संख्या	सन्निहित राशि
29-09-2010	93	21127948.00	188	58950380.00
03-11-2010	54	26415140.00	61	25706585.00
28-01-2011	23	14049226.00	107	42680878.00
28-05-2011	11	5661816.00	140	60106194.00
19-08-2011	40	31588110.00	157	71658079.00
26-11-2011	44	27864922.00	140	65841740.00
25-02-2012	07	4214819.00	123	53043404.00
16-06-2012	22	16518300.00	163	82908110.00
25-08-2012	16	7865387.00	133	73588519.00
<b>कुल</b>	<b>310</b>	<b>155305668.00</b>	<b>1212</b>	<b>534483889.00</b>

पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु जिले के अधीनस्थ सभी कार्यालय प्रधान को उनके कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्ति के 18 महीने पूर्व पेंशन प्रपत्र आदि उपलब्ध कराने एवं इसे प्राप्त कर लेने एवं सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए पेंशन प्रपत्र, अंतिम पेंशन निर्धारण हेतु महालेखाकार कार्यालय को भेजने हेतु निदेशित किया जा चुका है।

*15/10/12*  
स्थापना उप समाहर्ता  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर